



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102020-222285
CG-DL-E-07102020-222285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3096]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2020/आश्विन 15, 1942

No. 3096]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2020/ ASVINA 15, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3479(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 को उक्त उप-धारा के प्रयोजनों के लिए शाखा के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. II/21022/23(35)/2019-एफसीआरए-III]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3479(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby specifies the State Bank of India, New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Delhi-110001 as the branch for the purposes of the said sub-section.

[F. No. II/21022/23(35)/2019-FCRA-III]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.